न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 742–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.01.2012 पारित व्दारा – अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 510 बी–5/2009–10 अपील

1– रतन चंद जैन पुत्र राजकुमार जैन
2– नेमीचंद पुत्र राजकुमार जैन
दोनों निवासी बार्ड क्र–15 पथरिया
जिला दमोह मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

1– विहारी लाल पटैल पुत्र कड़ौरीलाल
2– दशरथलाल पटैल पुत्र कड़ोरीलाल
ग्राम बोतराई तहसील पथरिया
जिला दमोह मध्यप्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कमल धारू)

आ दे श

(आज दिनांक 20 – 1 –2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 510 बी–5/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण ने तहसीलदार पथरिया को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उन्होंने ग्राम बोतराई स्थित भूमि सर्वे नंबर 836/3 रकबा 2.124 हैक्टर विक्रय पत्र दिनांक 2–8–97 से क्रय की है एंव राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण हुआ है किन्तु बयनामा अनुसार रकबा 2.124 के बजाय खसरा नबर 320 रकबा 1.85 अंकित हो गया है जिसके

कारण रकवा की पूर्ति की जावे। अनावेदकगण ने भी तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया कि भूमि खसरा नंबर 320 रकबा 1.85 हैक्टर का वह मालिक है व यह भूमि किसी अन्य के नाम गलत ढंग से दर्ज हो गई है यह भूमि उसने कभी किसीको विक्रय नहीं की है भूमि पर उसी का कब्जा है इसलिये इस भूमि का रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार पथरिया ने प्रकरण क्रमांक 01 अ-5/2009-10 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 22-10-09 से ग्राम बोतराई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 320 रकबा 1.85 पर विहारी, दशरथ पुत्रगण कड़ोरीलाल का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 18 अ-5/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-8-2010 से अपील निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 510 बी-5/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वत्व का अंतरण हुआ है एंव व्यवहार न्यायालयों से आवेदकगण के पक्ष में निर्णय हुये हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण में विचाराधीन भूमि पर आवेदकगण का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा अनावदेकगण ही भूमि पर निरन्तर खेती करते आ रहे हैं इसलिये तहसीलदार ने मौके की स्थिति की जांच कराकर साक्षीगण के कथनों के आधार पर आदेश पारित किया है वह

सही है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने एंव अपर आयुक्त ने तहसीलदार के आदेश को सही होना माना है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदकगण व्यवहार न्यायालय से हुये आदेश के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि स्वयं् स्वत्व की होना बता रहे है परन्तु विचाराधीन प्रकरण स्वत्व एंव विक्रय पत्र की बैधता की जांच का नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र की बैधता की जांच राजस्व न्यायालय नहीं कर सकते। तहसीलदार का आदेश मात्र यह है कि वादग्रस्त भूमि पर मौके खेती कौन कर रहा है , जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2012 में अनुविभागीय अधिकारी दमोह के आदेश दिनांक 18-8-10 एंव तहसीलदार पथरिया के आदेश दिनांक 22-10-09 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी मान0 व्यवहार न्यायालय से जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है तथा मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार आवेदकगण तहसील न्यायालय में कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 510 बी-5/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.01.12 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर